संख्या-30/2021-830/58-2021-77/2018टीसी-1

प्रेषक

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2021**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्यान की योजना के अन्तर्गत ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2018 के लम्बिल दायित्वों की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-140/बजट/2020-21, दिनांक 14.03.2021 एवं शासन के पुनर्विनियोग सं0-आर.ई.-673/ई-382/दस-2021, दिनांक 26.03.2021 तथा पृष्ठांकन सं0-768/58-2021-77/2018टीसी-1, दिनांक 26.03.2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास 27-सब्सिडी में हो रही बचतों के सापेक्ष 2406-बागवनी तथा वन्य जीव-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-112-सार्वजनिक उद्यान-03-उद्यान 42-अन्य व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मदों में क्रमशः रु0-2.00 लाख तथा रु0-15.98 लाख, इस प्रकार कुल रु0-17.98 लाख(रूपये-सतरह लाख अट्ठानबे हजार) मात्र को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन लेते हुए ही धनराशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय, किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

(6) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि के औचित्य व अनुमन्यता के संबंध में संतुष्ट होने का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

(7) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(8) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसका नियमानुसार आहरण किया जायेगा।

(9) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(10) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस- 2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1 -192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/ 2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(12) प्रश्नगत वित्तीय पुनर्विनियोग वित्तीय प्राविधान हेतु किया जा रहा है। धनराशि के औचित्यपूर्ण व्यय के निर्धारण का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

(13) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(14) प्रश्नगत धनराशि का आहरण एव व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) यदि विभाग द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग सीधे उत्तरदायी होंगे।

(16) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास 27-सब्सिडी में हो रही बचतों के सापेक्ष 2406-बागवनी तथा वन्य जीव-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-112-सार्वजनिक उद्यान-03-उद्यान 42-अन्य व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मदों के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि को पुनर्विनियोग के निर्धारित प्रपत्र बीएम-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

<u>संख्या- 30/2021-830 (1)/58-2021-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in